

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2014/2012/अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-बी, अलवर।

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स भाटिया रसायन उद्योग प्रा० लि०,
E-280, M.I.A, अलवर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक।
अनुपस्थित।

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 24/05/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 38/CST/2011-12/उपा/अपील्स/अलवर में पारित आदेश दिनांक 10.04.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-भिवाड़ी, (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.02.2011 के अन्तर्गत केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 9 सपठित धारा 24(2) के तहत पारित आदेश में धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति रूपये 57,976/- को अपास्त किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी-व्यवहारी का वर्ष 2008-09 का करनिर्धारण आदेश अधिनियम की धारा-9 सपठित धारा-24(2) ऑफ आरवैट एक्ट, 2003 के तहत दिनांक 14.02.2011 को पारित किया जाकर कुल मांगराशि रूपये 4,52,675/- कायम की गई। व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि की वैट-10ए में रूपये 28,98,850/- की अन्तर्राज्यीय बिक्री को 2 प्रतिशत से घोषित किया गया है जबकि उसके द्वारा दिनांक 04.03.2009 को प्रस्तुत आलौच्य अवधि की सीएसटी की संशोधित प्रथम तिमाही बिक्री प्रपत्र में उक्त बिक्री को 2 प्रतिशत से घोषित किया गया है। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत आलौच्य अवधि की वैट-10ए तथा सीएसटी की प्रथम तिमाही बिक्री प्रपत्र में विरोधाभाषी तथ्य पाये जाने के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त बिक्री का सत्यापन लेखा-पुस्तकों से किये जाने बाबत व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया लेकिन व्यवहारी द्वारा उक्त बिक्री के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आलौच्य अवधि की लेखा-पुस्तकें पेश नहीं की गई। इसलिए सक्षम अधिकारी द्वारा यह मानते हुए कि व्यवहारी द्वारा करापवंचन की मंशा से जानबूझकर आलौच्य अवधि की लेखा-पुस्तकें पेश नहीं की गई। सक्षम अधिकारी द्वारा यह मानते हुए कि व्यवहारी द्वारा करापवंचन की मंशा से जानबूझकर आलौच्य अवधि की संशोधित प्रथम तिमाही बिक्री प्रपत्र में अन्तर्राज्यीय बिक्री रूपये 28,98,850/- को 3 प्रतिशत के स्थान पर 2 प्रतिशत की घोषित किया जाकर 1 प्रतिशत करापवंचन किये जाने के कारण आलौच्य अवधि के करनिर्धारण आदेश में उक्त बिक्री पर अधिनियम की धारा 61 के अधीन शास्ति रूपये 57,976/- आरोपित की गई, जिससे असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी-व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.04.2012 के द्वारा स्वीकार कर आरोपित शास्ति को

लगातार.....2

अपास्त किया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. हस्तगत प्रकरण में व्यवसायी ने वर्ष 2008-09 की प्रथम तिमाही की रिटर्न में अन्तर्राज्यीय बिक्री का रूपये 28,98,850/- को 3 प्रतिशत से कर योग्य घोषित की थी। व्यवसायी का यह सद्विश्वास था कि 01.04.2008 से CST में 'सी' फार्म से समर्थित अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर 2 प्रतिशत देय था। अतः 2 प्रतिशत से कर वसूल किया गया था, जो नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज हैं। लेकिन सरकार द्वारा CST की उक्त 2 प्रतिशत कर दर 01.06.2008 से लागू की गई थी। जिसकी वजह से प्रथम तिमाही में 3 प्रतिशत से कर चुकाने का दायित्व था। लेखाकार ने वैट 10ए भरते समय उक्त बिक्री को 2 प्रतिशत से घोषित किया, क्योंकि 2 प्रतिशत से कर वसूल किया गया था। लेखाकार की उक्त भूल Bonafide mistake थी। जिसके कारण उसने संशोधित CST की प्रथम तिमाही को संशोधित रिटर्न प्रस्तुत कर त्रुटिवश 2 प्रतिशत की बिक्री घोषित की हैं। लेखा पुस्तकों में समस्त बिक्री का लेखांकन किया गया है तथा घोषित हैं। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 9 सपठित धारा 61 के तहत जो शास्ति आरोपित की हैं। वह विधिसम्मत नहीं हैं। जब समस्त बिक्री की घोषणा नियमित बहिमात में दर्ज है तब मात्र कर दर के विवाद के आधार पर धारा 61 की शास्ति आरोपित किया जाना उचित नहीं हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिकल बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू 23 VST 249 (2009)(SC) में यह अभिमत प्रकट किया है कि यदि खरीद-बिक्री के संव्यवहार व्यवसायी के नियमित बही खातो में दर्ज है तो शास्ति का आरोपण अविधिक हैं। व्यवहारी द्वारा प्रथम तिमाही की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर 2 प्रतिशत की दर से कर वसूल करने का मुख्य कारण यह रहा है कि उसने सद्भाव से CST की कर दर 01.04.2008 से 2 प्रतिशत मानी हैं। जबकि उक्त 2 प्रतिशत की कर दर सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2008 से प्रभावी की गई हैं।

5. इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में करापवंचन का कोई दोषी मनोभाव नहीं रहा है।

6. इस प्रकार समस्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा किसी संव्यवहार को लेखा पुस्तकों में छिपाया नहीं गया है। अतः कर दर की लिपिकीय मूल के लिए धारा 61 की शास्ति न्यायोचित नहीं हैं। अपीलीय अधिकारी ने इस प्रकरण में आख्यात्मक आदेश पारित किया है। जिसे यथावत रखा जाता है।

7. फलतः विभाग राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य